

राजस्थान उच्च न्यायालय,**जयपुर पीठ**

खंडपीठ दीवानी रिट याचिका संख्या 4667/2022

जमुना प्रसाद पुत्र स्वर्गीय श्री सुख राम, आयु लगभग 66 वर्ष, निवासी 52/203, सेक्टर 5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, वर्तमान में वैज्ञानिक अधिकारी ई, परमाणु खनिज निदेशालय, प्रताप नगर, जयपुर के पद पर कार्यरत, अब सेवानिवृत्त और मकान नंबर 317, इंजीनियर्स कॉलोनी, क्वार्सी बाई पास रोड, क्वार्सी, अलीगढ़, उ.प्र. 202001.

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, जरिये अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एवं सचिव, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग, अणुशक्ति भवन, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, मुंबई।
2. निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, 1-10-153-156, बेगम पेट, हैदराबाद।
3. क्षेत्रीय निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, पश्चिमी क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, सेक्टर-5, एक्सटेंशन प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।
4. श्री प्रताप सिंह परिहार, निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, 1-10-153-156, बेगम पेट, हैदराबाद, अब सेवानिवृत्त और जरिये निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, 1-10-153-156, बेगम पेट, हैदराबाद- 500016.

5. श्री जी.एस. शर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी-जी, पश्चिमी क्षेत्र, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, सेक्टर 5 एक्सटेंशन, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, अब सेवानिवृत्त और 60/43, सेक्टर-6, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर-302033.

-----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : सुश्री परिनितू जैन

प्रतिवादीगण की ओर से : सुश्री मंजीत कौर साथ में

सुश्री दिशा जैन

सुश्री निधि खंडेलवाल साथ में

सुश्री अंशु कंवर

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रमिल कुमार माथुर

आदेश

11/02/2025

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.2021 को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा यमुना प्रसाद बनाम भारत संघ व अन्य शीर्षक वाले मूल प्रार्थना पत्र संख्या 645/2014 को खारिज कर दिया गया था।
-

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1980 में परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक सहायक 'बी' के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। 01.02.2001 को, याचिकाकर्ता को वैज्ञानिक अधिकारी 'ई' के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता को वैज्ञानिक अधिकारी 'एफ' के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई। वैज्ञानिक अधिकारी 'एफ' के पद पर पदोन्नति न देने की शिकायत उठाते हुए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के कारण पात्र नहीं था। 06.09.2010 को, अवधि 01.12.2007 से 30.11.2008 तक के प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों को याचिकाकर्ता को संसूचित किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन दिनांक 29.09.2010 को 16.11.2010 को अस्वीकार कर दिया गया। अभ्यावेदन अस्वीकार होने के खिलाफ दायर अपील में याचिकाकर्ता विफल रहा। अपील खारिज होने से व्यथित होकर अधिकरण के समक्ष मूल प्रार्थना पत्र संख्या 15/2012 दायर किया गया। 21.09.2012 को, मूल प्रार्थना पत्र संख्या 15/2012 को, अभ्यावेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश और अपीलीय आदेश को रद्द करते हुए, निस्तारित किया गया। प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए दस्तावेज प्रदान करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता को दस्तावेज प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर एक विस्तृत अभ्यावेदन दायर करना था। दस्तावेज प्राप्त होने पर याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन को 12.03.2013 को अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकृति आदेश के खिलाफ अपील 30.12.2013 को खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता ने आदेश दिनांक 12.03.2013 और 30.12.2013 के खिलाफ मूल प्रार्थना पत्र संख्या 645/2014 दायर किया। अधिकरण ने यह मानते हुए कि उठाए गए मुद्दे

पर मूल प्रार्थना पत्र संख्या 15/2012 में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है, प्राइन्त्याय लागू करते हुए मूल प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभ्यावेदन को अस्वीकार करने और अपील को खारिज करने वाले पिछले आदेशों को अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 21.09.2012 के द्वारा अपास्त कर दिया गया था और मूल प्रार्थना पत्र संख्या 645/2014 में चुनौती अधिकरण के निर्णय के पश्चात् पारित आदेशों को दी गई थी।

4. इसके विपरीत, दोनों मुकदमों में मुद्दा प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्रविष्टियों को चुनौती देने के संबंध में था।

5. प्राइन्त्याय लागू करने की पूर्वापेक्षा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *सैयद मोहम्मद सली लब्बाई (मृत) जरिये विधिक प्रतिनिधि व अन्य बनाम मोहम्मद हनीफा (मृत) जरिये विधिक प्रतिनिधि व अन्य*, (1976) 4 SCC 780 में प्रतिवेदित मामले में प्रतिपादित किया गया था:-

"7. * * *

* * *

* * *

इससे पहले कि प्राइन्त्याय की दलील को प्रभावी किया जा सके, निम्नलिखित शर्तों को सिद्ध किया जाना चाहिए-

- (1) कि मुकदमा लड़ने वाले पक्षकार वही होने चाहिए;
- (2) कि वाद की विषय-वस्तु भी समान होनी चाहिए;
- (3) कि मामला पक्षकारों के बीच अंतिम रूप से निर्णित होना चाहिए; और
- (4) कि वाद का निर्णय सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।"

6. याचिकाकर्ता ने मूल प्रार्थना पत्र संख्या 15/2012 में आदेश दिनांक 16.11.2010 और 12.08.2011 को चुनौती दी थी, जिनके द्वारा क्रमशः

अभ्यावेदन को अस्वीकार और अपील को खारिज किया गया था। याचिकाकर्ता सफल रहा और आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया गया। अधिकरण के निर्देशों के अनुसरण में, दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, नया अभ्यावेदन दायर किया गया, जिसे 12.03.2013 को अस्वीकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने अपील का उपचार प्राप्त किया और 30.12.2013 को अपील खारिज होने पर, मूल प्रार्थना पत्र संख्या 645/2014 दायर किया गया।

7. दोनों मूल प्रार्थना पत्रों की विषय-वस्तु अलग-अलग थी, हालांकि मुकदमेबाजी का आरंभिक बिंदु प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन हैं। अधिकरण ने मूल प्रार्थना पत्र संख्या 645/2014 को प्राइन्त्याय के आधार पर खारिज करने में त्रुटि की। यह उल्लेख करना उचित होगा कि प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के संबंध में मुद्दे पर अधिकरण द्वारा मूल प्रार्थना पत्र संख्या 15/2012 में गुणागुण पर निर्णय नहीं लिया गया था।

8. मूल प्रार्थना पत्र संख्या 645/2014 को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और मामले को अधिकरण को वापस प्रेषित किया जाता है ताकि वह पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार मूल प्रार्थना पत्र पर नए सिरे से निर्णय ले सके।

9. याचिका स्वीकार की जाती है।

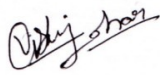
(प्रमिल कुमार माथुर), जे

(अवनीश झिंगन), जे

चंदन/अरुण/10

क्या सूचनीय है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़